

SJU - Contact No. +91 9301915303

E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

आधिकार से न्याय तक

Join SJU

आवश्यकता

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य बिन्दु

पीडित संपर्क करें

अन्य बिन्दु

पटिए

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

● Address ::

Behind Stadium

Near Career

School, Raigarh,

C.G.

Pin 496001

इस संघ का गठनसमूह छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं सौमिल एडवोकेट श्री तारागत श्रीवास्तव (अधिकृत, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गौर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुमारी सी.बी.यम, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी रकुन्दे एवं अन्य ने शासन को वचनबद्ध ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के प्राप्त सामाजिक अत्याच अथवा मानवाधिकार हनन सम्बन्धी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सख्त व्यक्तिओं के समक्ष लाने की और प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बन्धी कार्य हाथ में लेकर वेसलर, गरीब, परिवर्तक, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बन्ध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संस्था केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और अग्रे संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुराज एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक सहायता को व्यवस्था आश्रयकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बन्धी वेतन हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचित वर्गों के अधिकारों के सम्बन्ध में विधिक एवं सैनिकी अंतिम के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संयोजित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कार्यक्रमों एवं अधिकारों के बारे में सतत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ितों की परेशानों को आसानी से पहुँचाना आ सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ितों को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा सैनिकी शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा के सम्बन्धित हिस्सों कार्यक्रम किए जावेगें, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्रीय, स्वराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुर्बानियों को दूर करने के लिए कार्यवाही का आवेदन भी करेगा। संघ देश के भूते विदेशों पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करवाएगा।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU